



प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत "पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सूचीबद्ध चिकित्सालयों के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु अग्रिम के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-17फ/नि0ब0/2026-27/13, दिनांक 08.05.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का शिर्षा हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2026-27 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत "पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" हेतु प्राविधानित धनराशि रुपये 15000.00 लाख के सापेक्ष सूचीबद्ध चिकित्सालयों के चिकित्सा दावों के लम्बित/प्राप्त होने वाले दावों के भुगतान हेतु धनराशि रुपये 5000.00 लाख (रुपये पचास करोड मात्र) अग्रिम के रूप में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निर्वर्तन पर लगे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण किये जाने पर वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यभार प्राप्त संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 25.10.1983, 10.06.2011 तथा 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
- (3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्थानुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
- (4) पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2027 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये

महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुये वित्त विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी होगी।

(6) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

(7) धनराशि संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-032 लेखाश्रीक-2210/11100900-राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना मानक मद-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई0-3-19/दस/2026-27, दिनांक 27 मई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

चन्द्र शेखर मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(3) वित्त नियंत्रक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(4) निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6) संबन्धित कोषाधिकारी।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) चिकित्सा अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

चन्द्र शेखर मिश्र

संयुक्त सचिव।